F0RM NO.111

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

भागोती देवी बनाम भूमिधारी तहसीलदार श्रीमाधोपुर वगै0

किस्म मुकदमाः–प्रार्थना पत्र पत्थरगढ़ी मुकदमा नम्बरः– 25/2021

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघु हस्ताक्षर जज	
16.06.2021	प्रार्थीया श्रीमती भागोती देवी की ओर से श्री हरिश उज्ज्वल एड0 ने उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढ़ी पेश किया। प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढ़ी दर्ज रजिस्टर किया जावें। अप्रार्थीगण की तलबी जरिये नोटिस मय नकल जारी की जावें। पत्रावली वास्ते देखने तामिल दिनांक 22.06.2021 को पेश हो।	1350/RA 16-6-2021
22-6-21	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थिया उपस्थित। अप्रार्थी का नोटिस तामील होकर लौटा है। जो शामिल पत्रावली किया गया। वास्ते अग्रिम तामील पत्रावली दिनांक 29-6-21 को पेश हो।	
06.2021	पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थीया की ओर से श्री हरिश उज्ज्वल एडवोकेट उपस्थित आये। अप्रार्थी भूमिधारी तहसीलदार श्रीमाधोपुर को जारी नोटिस की पालना में तहसीलदार श्रीमाधोपुर की ओर से जरिये पत्रांक/रीडर/2021/685 दिनांक 28.06.2021 के द्वारा लिखित में अवगत कराया कि राजस्व ग्राम अजीतगढ़ के भूमि खसरा नम्बर 2106 रकबा 0.35 हैक्टेयर का [illegible] दिनांक 11.06.2021 को संयुक्त टीम [illegible] करवायी [illegible] है। उक्त भूमि की पत्थरगढ़ी करवाने में तहसीलदार (भू.अ.) श्रीमाधोपुर को कोई आपत्ति नहीं होना अपने पत्र के द्वारा जाहिर किया है। प्रकरण में बहस वकील प्रार्थीया एक पक्षीय सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थीया ने अवगत कराया कि	

उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Laxmi Kant Gupta
Date: 2021.07.01 16:41:09 IST
Reason: SelfAttested

मानोहरी देवी बनाम भूमिधारी तहसीलदार

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघु हस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	अनापत्ति पत्थरगढ़ी 25/2021 प्रकरण में अप्रार्थी भूमिधारी तहसीलदार श्रीमाधोपुर के द्वारा कोई आपत्ति नही होना जाहिर किया है। अप्रार्थी की सहमति के आधार पर वकील प्रार्थीया ने प्रकरण का निस्तारण किये जाने का निवेदन किया। वकील प्रार्थीया के निवेदन पर पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। अवलोकन करने पर पाया गया कि प्रार्थीया की खातेदारी व कब्जा काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 2106 रकबा 0.35 हैक्टर अवस्थित तन् ग्राम अजीतगढ़ तहसील श्रीमाधोपुर में स्थित है। जिसके प्रार्थीया एंव उसके परिवारजन राजस्व रिकार्ड अनुसार काबिज खातेदार काश्तकार है। प्रार्थीया ने अपनी खातेदारी व कब्जा काश्त की भूमि का विधिवत तरीके से सीमाज्ञान दिनांक 11.06.2021 को तहसीलदार श्रीमाधोपुर के आदेश पर भू.अ.निरीक्षक अजीतगढ़, भू.अ.निरीक्षक दिवराला एंव पटवारी हल्का अजीतगढ़ व दिवराला की संयुक्त टीम के द्वारा मौके पर मुश्तकिल खसरा नम्बर 2093 गैरमुमकीन चाह को आधार मानकर मौके पर जाकर करवाया गया है। जिसकी फोटो प्रतिलिपि संलग्न है। प्रार्थीया ने अपनी उक्त भूमि का मौके पर सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांक 11.06.2021 के अनुसार पत्थरगढ़ी करवाये जाने का निवेदन किया है। वकील प्रार्थीया के निवेदन पर प्रार्थना पत्र व उपलब्ध दस्तावेजात् यथा फर्द मौका रिपोर्ट सीमाज्ञान बाबत सहमति इत्यादि का अवलोकन किया गया। जिनके अवलोकन से प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों की पुष्टि होती है। अतः ऐसी स्थिति में प्रकरण में पत्थरगढ़ी की कार्यवाही किया जाना उचित [illegible] हूँ। वकील प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये [illegible] पर स्वीकार किया जाता है तथा प्रकरण में भू.अ.निरीक्षक अजीतगढ़, भू.अ.निरीक्षक दिवराला एंव पटवारी हल्का अजीतगढ़ व दिवराला की संयुक्त टीम के द्वारा दिनांक 11.06.2021 को किए गए सीमाज्ञान के उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)	

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Gupta
Date: 2021.07.01 16:41:09 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर (सीकर)

क्रम	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
	मुताबिक कृषि भूमि खसरा नम्बर 2106 रकबा 0.25 हैक्टर अवस्थित तन् ग्राम अजीतगढ़ तहसील श्रीमाधोपुर की पत्थरगढ़ी की कार्यवाही भू.अभिलेख निरीक्षक व पटवारियान् की संयुक्त टीम से करवाये जाने हेतु तहसीलदार श्रीमाधोपुर को आदेश दिया जाता है कि वे पत्थरगढ़ी की फीस दो भू.अ. निरीक्षक फीस 900/- रूपये प्रति भू.अ.निरीक्षक की दर से 1800/- रूपए एंव दो पटवारियान् की फीस 600/- रूपये प्रति पटवारी की दर से 1200/-रूपये कुल 3000/- रूपये जरिये चालान राज्य कोष में जमा ली जावें तथा मूल चालान की प्रति पेश होने पर भू.अ.निरीक्षक अजीतगढ़ व दिवराला एंव पटवारी हल्का अजीतगढ़ व दिवराला की संयुक्त टीम के द्वारा दिनांक 11.06.2021 को किए गए सीमाज्ञान के मुताबिक वर्तमान भौतिक मौका स्थिति में बिना परिवर्तन किये व सींव डोल को बिना हिलाये (प्रकरण में अंकित खसरा नम्बरान् पर किसी दीगर न्यायालय का कोई स्थगन आदेश प्रभावी नहीं हो तो) पत्थरगढ़ी की कार्यवाही करने हेतु तहसीलदार श्रीमाधोपुर को तहरीर आदेश जारी हो। तहसीलदार श्रीमाधोपुर यदि आवश्यक समझे तो थानाधिकारी पुलिस थाना अजीतगढ़ से आवश्यक पुलिस इमदाद प्राप्त कर ली जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो। (लक्ष्मीकान्त गुप्ता) उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर) यह निर्णय आज मेरे द्वारा लिखाया जाकर दिनांक 29.06.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। (लक्ष्मीकान्त गुप्ता) उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)	1791/ रीडर 30-6-2021

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Gupta
Date: 2021.07.01 15:41:09 IST
Reason: SelfAttested